



कार्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज
(पुराना पुलिस मुख्यालय, बड़ी चौपड़, हवामहल, जयपुर)



क्रमांक: एफ () कार्मिक / न.नि.ज (हैरिटेज) / 2021 / 384

दिनांक 14/10/2021

1. उपायुक्त, आदर्श नगर जोन
2. उपायुक्त, सिविल लाईन जोन
3. उपायुक्त, हवामहल-आमेर जोन
4. उपायुक्त, किशनपोल जोन
5. उपायुक्त, सतर्कता
नगर निगम जयपुर हैरिटेज।

विषय:- मृतक आश्रित अनुकम्पात्मक नियुक्ति आवेदन प्रकरणों के त्वरित निस्तारण बाबत।

प्रसंग:- संयुक्त वाल्मीकी एवं सफाई श्रमिक संघ, नगर निगम जयपुर हैरिटेज/ग्रेटर के पत्र दिनांक 30.09.2021 के क्रम में।

सन्दर्भ:- क्रमांक: एफ () कार्मिक / न.नि.ज (हैरिटेज) / 2021 / 277 दिनांक 25.08.2021, एफ () कार्मिक / न.नि.ज (हैरिटेज) / 2021 / 289 दिनांक 01.09.2021 एवं एफ () कार्मिक / न.नि.ज (हैरिटेज) / 2021 / 343 दिनांक 25.09.2021 के सन्दर्भ में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में पुनः लेख है कि मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम-1996 के तहत जोन कार्यालय से मुख्यालय को प्रकरण प्रेषित किये गये थे जिनका परीक्षण करने पर पत्रावलीयों में काफी कमिया पाई जाने पर उक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से आपको निर्देशित किया गया था कि चैक लिस्ट एवं जांच सूची तथा प्रमाण पत्र भरने के पश्चात ही मुख्यालय को अनुकम्पा नियुक्ति योग्य प्रकरण में अभिशंषा स्वीकृति हेतु भिजवावें तथा प्रकरणों के निस्तारण में विलम्ब ना करें तथा आपको कमी-पूर्ति, चैक लिस्ट एवं जांच सूची तथा प्रमाण पत्र भरने हेतु लौटाये गये थे। पत्र दिनांक 25.09.2021 के द्वारा लौटाये गये प्रकरणों की सूची भी संलग्न कर आपको प्रेषित की गई थी। सूची के अनुसार लम्बित प्रकरणों में से योग्य प्रकरण अभी तक मुख्यालय को प्राप्त नहीं हुये है। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि नियुक्ति योग्य प्रकरण मय चैक लिस्ट, जांच सूची तथा प्रमाण-पत्र व अभिशंषा सहित सम्बन्धित मृतक कर्मचारी का सेवा पत्रावली के साथ मुख्यालय को तत्काल भिजवावें। अपात्र प्रकरणों को आपके स्तर पर खारिज की कार्यवाही की जावें। कोई प्रकरण लम्बित नही रहे यह सुनिश्चित करें। अपूर्ण प्रकरण ना भिजवाते हुये पूर्ण एवं योग्य प्रकरण ही मुख्यालय को प्रेषित करें। विलम्ब के लिए आप उत्तरदायी होंगे।

(अवधेश मीना)

IAS

आयुक्त

नगर निगम जयपुर हैरिटेज